कार्यालय कलेक्टर(आबकारी),जिला–सतना (म०प्र०)

E-Mail ID : deo. satna@mpexcise.org

–: विज्ञप्तिः–

दिनांक :- 16 / 03 / 2018

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2018–19

––00––

सर्व–साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सतना जिले की **नवीनीकरण/लॉटरी** आवेदन पत्रो के माध्यम से शेष **06** देशी मदिरा एवं **05** विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानें जो **04** एकल समूह में रखी गई है, वर्ष 2018–19 के लिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए मदिरा दुकानों /एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई–टेण्डर के माध्यम से किया जावेगा। मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन की तिथियां एवं कार्यकम निम्नानुसार है :–

1	ई–टेण्डर हेतु ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउन लोड़ करने का समय व तिथियां	दिनांक 16 मार्च, 2018 को प्रातः 11:00 बजे से 21 मार्च, 2018 दोपहर 12:00 बजे तक
2	ऑन लाईन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 21 मार्च, 2018 दोपहर 03:00 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 21 मार्च, 2018 को सायंकाल 04:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

वर्ष 2018–19 के लिए निष्पादित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका आरक्षित मूल्य, ई–टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, नियमों, विकय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वर्तमान वर्ष के 09 माह में खपत तथा मदिरा दुकानों के अवस्थान संबंधित परिक्षेत्र आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त से किसी भी दिन, (अवकाश के दिन सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में विज्ञप्ति, वेबसाईट **www.satna.nic.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है।

ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों /एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई–टेण्डर सुविधा प्रदाता मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **www.mpeproc.gov.in** पर भी अपलोड/घोषित की जावेगी। ई–टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कंपनी भाग लेना चाहे, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तो एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई–टेण्डर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम के **पोर्टल** **www.mpeproc.gov.in** पर ऑफर दे सकते है।

संलग्न :– **04 मदिरा दुकानों/एकल समूहों का विकय पत्र वर्ष 2018–19**

कलेक्टर,
जिला–सतना (म०प्र०)

क्रमशः–2

क्रमांक/आब./ठेका/2018–19/ 361 सतना, दिनांकः– 16/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्यकर विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल, म.प्र. की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों, 02 राज्य स्तर के सामाचार पत्रों, 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
4. अपर आबकारी आयुक्त, राजयस्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, सतना की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता , संभाग.................................की ओर सूचनार्थ।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला सतना की ओर उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
9. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला................................की ओर प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (**NIC**) सतना की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
11. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व .... जिला सतना की ओर विज्ञप्ति एंव विक्रय पत्र कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु सूचनार्थ।
12. समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक/मद्यभाण्ड़ागार अधिकारी, जिला सतना (म0प्र0) की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने वृत्त क्षेत्र स्थित समस्त मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु संभावित इच्छुक व्यक्तियों से विशेष रूप से संपर्क कर निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करे, ताकि शासन के राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि प्राप्त हो सके।
13. नाजिर, कलेक्ट्रेट सतना, जिला सतना (म0प्र0) ओर विज्ञप्ति एंव विक्रय पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
14. सहायक आयुक्त आबकारी, सतना के कार्यालय में विज्ञप्ति एंव विक्रय पत्र सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

कलेक्टर,
जिला–सतना (म०प्र०)